प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 60/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

तुलसीराम गाडरी पुत्र डूंगा गाडरी पताः गांव–बाबरिया खेडा, तहसील–मावली, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार मावली, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 06.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना से भिन्न सूचना उपलब्ध करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/60/25/402–3 दिनांक 24.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली ने जरिये पत्रांकः रीडर/सू.अ./2025/35 दिनांक 16.05.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलाण्ट द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुतत प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 1 में ग्राम बाबरियाखेडा, पटवार हल्का आमली, तहसील मावली के सहमति विभाजन नामांतरकरण संख्या 343 दिनांक 23.07.2024 को दर्ज के आदेश की प्रति चाही गई, जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/2025/184 दिनांक 20.03.2025 से उपतहसीलदार सनवाड के सहमति विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./सह.वि./2024/6 दिनांक 25.06.2024 की प्रति अपीलाण्ट को उपलब्ध करवाई गई है। बिन्दु संख्या 2 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने हेतु जारी प्रमाण पत्र ई.डब्ल्यू.एस. हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इसे बनवाने के लिए जारी आवेदन पत्र, चेकलिस्ट, नवीनतम दिशा निर्देश की प्रमाणित प्रति एवं इस कार्यालय में इस जांचने हेतु नियुक्त कर्मचारी का नाम, पता उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की प्रमाणित प्रति चाही गई। जिस पर इस कार्यालय से अपीलाण्ट को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना हेतु भारत सरकार के Department of Personnel की वेबसाईट और समाज कल्याण विभाग एवं कार्मिक विभाग, राजस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र के संबंध में जारी दिशा निर्देशों एवं आदेशों का अवलोकन कर उक्त सूचना प्राप्त कर सकते है और इन्ही दिशा निर्देशों एवं आदेशों अनुसार ही ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

जारी किये जाते है। बिन्दु संख्या 2 में चाही गई आंशिक सूचना जो व्यक्तिगत प्रकृति की होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(i) के अन्तर्गत देय नहीं है, की जानकारी अपीलाण्ट को दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलाण्ट को उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने हेतु जारी प्रमाण पत्र ई.डब्ल्यू.एस. हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इसे बनवाने के लिए जारी आवेदन पत्र, चेकलिस्ट, नवीनतम दिशा निर्देश की प्रमाणित प्रति एवं तहसील कार्यालय में इसे जांचने हेतु नियुक्त कर्मचारी का नाम, पता उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण की प्रमाणित प्रति चाही गई है जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार के संबंधित विभाग की वेबसाईट्स/पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है जो प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 2 में आंशिक सूचना कर्मचारी की व्यक्तिगत सूचना होकर अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत अदेय है।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाओं में से कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड अनुसार सहायक सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली द्वारा अपीलार्थी को दिया जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रथमदृष्टया दर्शित हो रहा है एवं प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब से न्यायालय संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मावली द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर